REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2002/ज्येष्ठ 16, 1924
No. 119] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2002/JYAISTHA 16, 1924

IndiaCode

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2002

सं. एन.-10/6/2001-पीपीसी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**

(1) इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) हिन्दी अधिकारी सेवा विनियम 2002 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **प्रारंभिक संघटन -**

इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को नियमित आधार पर हिन्दी अधिकारी के पदों पर कार्यरत सभी व्यक्ति इन नियमों के तहत हिन्दी अधिकारी के पद पर नियुक्त माने जाएंगे। इन नियमों के लागू होने की तारीख से पहले उनके द्वारा की गई सेवा अवधि को अगले ग्रेड में उनकी पदोन्नति के लिए पात्रता के निर्धारण हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

Scanned by CamScanner

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान -

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वे होंगे, जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि -

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 11 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. अनर्हता -

वह व्यक्ति -

[क] जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या

[ख] जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. शिथिल करने की शक्ति -

जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके आदेश द्वारा आयु सीमा, शैक्षिक और अन्य अर्हताओं को शिथिल कर सकेगा।

7. निर्वचन -

यदि इन विनियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसे निर्णय के लिए केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।

IndianCode

Scanned by CamScanner

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा अथवा वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7
हिन्दी अधिकारी	*48 [2001] *परिवर्तन के अध्यधीन	6500-200-10500 रु0	योग्यता के आधार पर	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं

IndiaCode

Scanned by CamScanner

परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
8	9	10	11
2 वर्ष	[1] 66.2/3 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा । ऐसा न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा [2] 33.1/3 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	1. पदोन्नति: प्रसार भारती के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक [4500-125-7000 रू0] जिसने उक्त ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो- 2. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों के अधिकारी जो:- [क] [1] नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं. या [2] जिन्होंने 5500-175-9000 रू के वेतनमान या इसके समतुल्य पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा की है: या [3] जिन्होंने 4500- 125 - 7000/ 7500 रू0 के वेतनमान या समतुल्य पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा की है।	1. उप महानिदेशक [प्रशासन] दूरदर्शन महानिदेशालय - अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक [प्रशासन एवं वित्त] आकाशवाणी महानिदेशालय- सदस्य 3. निदेशक [राजभाषा], सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय - सदस्य 4. सदस्य [कार्मिक] द्वारा नामित किए जाएंगे।

के. एस. सर्मा, कार्यकारी सदस्य

[विज्ञापन III/IV/163/2002-असाधा.]

IndiaCode

Scanned by CamScanner

PRASAR BHARATI
(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th June, 2002

No. N-10/6/2001-PPC.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 33 read with sub-section (2) of Section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement:
 (i) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Hindi Officer Service Regulations, 2002.
 (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Initial Constitution:
 All persons appointed at the commencement of these rules holding the posts of Hindi officer on regular basis shall be deemed to have been appointed as Hindi Officer under this rules. The service rendered by them before the commencement of this rules shall be taken into account for deciding the eligibility for promotion etc. to the next grade.
3. Number of posts, classification and scales of pay:
 The number of posts, its classification and scale of pay shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule aforesaid.
4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc. :
 The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in the columns 5 to 11 of the said Schedule.
5. Disqualification:
 No person-
 (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the Service:
 Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.
6. Power to relax:
 Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax age limit, educational and other qualifications.
7. Interpretation:
 If any question relating to interpretation of these regulations arises, it shall be referred to the Central Government for its decision.

Scanned by CamScanner

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether Selection by merit or Selection-cum-Seniority	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment	Grade from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If DPC exists, what is its composition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Hindi Officer	*48 (2001) *Subject to variation	Rs. 6500-200-10500/-	Selection by merit	Not applicable	Not applicable	No	2 years	(i) 66.2/3% by promotion failing which by deputation. (ii) 33.1/3% by deputation.	(i) Promotion: Hindi translator (Junior in the subordinate offices of Prasar Bharati (Rs.4500-125-7000) with eight years regular service in the grade. (ii) Transfer on deputation: Officers of the Central Government/State Governments/Union Territories: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years regular service in posts in the scale of Rs.5500-175-9000 or equivalent; or (iii) with eight years regular service in posts in the scale of Rs. 4500-125-7000/7500 or equivalent.	*1.Deputy Director General of Administration, Directorate General: Doordarshan - Chairman *2.Deputy Director General (Administration and Finance), Directorate General: Akashvani - Member *3.Director (Official Languages) Ministry of Information & Broadcasting - Member * To be nominated by Member Personnel

K. S. SARMA, Executive Member

[ADVT III/IV/163/2002-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode

Scanned by CamScanner